भारत सरकार
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2285
बुधवार, दिनांक 12 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

राजस्थान में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन

2285. श्री हरिश चंद्र मीनाः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत दस वर्षों के दौरान राजस्थान सहित देश में नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों से उत्पादित विद्युत की कुल मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(ख) नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए अपनाए गए/अपनाए जाने वाले उपाय और शुरू की गई योजनाएं क्या हैं;

(ग) हरित ऊर्जा कॉरिडोर के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;

(घ) विगत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाने के लिए राजस्थान सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आवंटित और संवितरित राजसहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सौर पार्कों के लिए राजसहायता से संबंधित चल रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) पिछले 10 वर्षों अर्थात् वर्ष 2014-15 से वर्ष 2023-24 के दौरान राजस्थान सहित देश में अक्षय ऊर्जा (आरई) संसाधनों से उत्पादित विद्युत की कुल मात्रा का विवरण अनुलग्नक-**I** में दिया गया है।

(ख) भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म विद्युत क्षमता के लक्ष्य को साकार करने के लिए देश में अक्षय ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा और गति देने के लिए विभिन्न योजनाओं की शुरुआत करने सहित विभिन्न उपाय और पहल की हैं, जैसा कि अनुलग्नक-**II** में दिया गया है।

(ग) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) अक्षय ऊर्जा की निकासी के लिए 10 अक्षय ऊर्जा संपन्न राज्यों अर्थात् राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में इंट्रा स्टेट ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (जीईसी) योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। जीईसी के चरण-I के अंतर्गत, डीपीआर लागत या आवंटित लागत का 40%, जो भी कम हो, केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) संबंधित राज्य की कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रदान की जाती है। जीईसी योजना चरण-II के अंतर्गत, डीपीआर लागत या आवंटित लागत का 33%, जो भी कम हो, सीएफए राज्य की कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय लद्दाख में 13 गीगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं

से विद्युत की निकासी के लिए जीईसी-II में इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन प्रणाली को भी लागू कर रहा है, जिसके अंतर्गत डीपीआर लागत या आवंटित लागत का 40%, जो भी कम हो, सीएफए कार्यान्वयन एजेंसी (पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) को प्रदान किया जाता है।

(घ) मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रमुख अक्षय ऊर्जा योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान जारी सीएफए का राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक-**III** में दिया गया है।

(ङ) मंत्रालय द्वारा वर्ष 2025-26 तक 40,000 मेगावाट की कुल क्षमता के साथ कम से कम 50 सौर पार्क स्थापित करने के उद्देश्य से "सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं का विकास" के लिए योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। सौर पार्कों का विकास राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों, सीपीएसयू और निजी उद्यमियों के सहयोग से किया जा रहा है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए प्रति सौर पार्क 25 लाख रुपये तक की केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाती है। इसके अलावा, पार्कों के विकास के लिए प्रति मेगावाट 20.00 लाख रुपये या परियोजना लागत का 30%, जो भी कम हो, सीएफए भी प्रदान किया जाता है। मंत्रालय ने पहले ही देश भर के 13 राज्यों में 39,958 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 55 सौर पार्कों को स्वीकृति दे दी है।

<u>अनुलग्नक-I</u>

'राजस्थान में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन' के संबंध में पूछे गए दिनांक 12.03.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2285 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-**I**

पिछले 10 वर्षों के दौरान राजस्थान सहित देश में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का विवरण [मिलियन यूनिट में]		
वर्ष	देश में कुल नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन	राजस्थान में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन
2014-15	190962.90	6586.82
2015-16	187157.60	7727.40
2016-17	203925.77	9090.01
2017-18	227962.19	10847.29
2018-19	261652.70	12561.80
2019-20	294106.14	14955.14
2020-21	297547.03	16986.01
2021-22	322539.63	24581.15
2022-23	365651.45	41957.48
2023-24	359888.76	48162.93

स्रोत: केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए)

अनुलग्नक-**II**

'राजस्थान में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन' के संबंध में पूछे गए दिनांक 12.03.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2285 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-**II**

भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता की प्रतिबद्धता को साकार करने के लिए देश में अक्षय ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा और गति देने के लिए विभिन्न उपाय और पहल की हैं। इनमें अन्य के साथ निम्नलिखित शामिल हैः

- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक अक्षय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों [आरईआईएः सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (सेकी), एनटीपीसी लिमिटेड, एनएचपीसी लिमिटेड, एसजेवीएन लिमिटेड) द्वारा जारी की जाने वाली 50 गीगावाट प्रति वर्ष की अक्षय ऊर्जा विद्युत खरीद बोलियों को जारी करने के लिए बोली ट्रैजेक्ट्री जारी की है।
- ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है।
- सौर और पवन विद्युत की इंटर-स्टेट बिक्री के लिए दिनांक 30 जून, 2025 तक चालू होने वाली परियोजनाओं के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं हेतु दिसम्बर, 2030 तक और अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए दिसम्बर, 2032 तक इंटर स्टेट ट्रांसमिशन प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्कों को माफ कर दिया गया है।
- अक्षय ऊर्जा खपत को बढ़ाने के लिए, अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता (आरपीओ) के बाद अक्षय उपभोग बाध्यता (आरसीओ) ट्रैजेक्ट्री को वर्ष 2029-30 तक के लिए अधिसूचित किया गया है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अंतर्गत सभी नामित उपभोक्ताओं पर लागू आरसीओ की अनुपालना न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। आरसीओ में विकेंद्रीकृत अक्षय ऊर्जा स्रोतों से खपत की निर्दिष्ट मात्रा भी शामिल है।
- निवेशों को आकर्षक और सुविधाजनक बनाने के लिए परियोजना विकास एकक की स्थापना की गई है।
- ग्रिड कनेक्टेड सौर, पवन, पवन-सौर हाइब्रिड और सतत एवं प्रेषण योग्य अक्षय ऊर्जा (एफडीआरई) परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित स्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
- प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) के अंतर्गत नई सौर विद्युत योजना (जनजातीय और पीवीटीजी बसाहटों/गांवों के लिए) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए जेजीयूए), राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) जैसी योजनाए शुरु की गई हैं।
- सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा अक्षय विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए, अक्षय ऊर्जा डेवलपरों को बड़े स्तर पर अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु भूमि एवं ट्रांसमिशन उपलब्ध कराने के लिए योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।
- अक्षय विद्युत की निकासी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना के अंतर्गत नई ट्रांसमिशन लाइनें बिछाने और नई सब-स्टेशन क्षमता विकसित करने हेतु वित्तपोषण किया गया है।

- पांच सौ किलोवाट तक अथवा स्वीकृत विद्युत लोड तक, जो भी कम हो, नेट-मीटरिंग के लिए विद्युत (उपभोक्ता के अधिकार) नियम, 2020 जारी किए गए हैं।
- "पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय पुनः शक्तिकरण और जीवन विस्तार नीति, 2023" जारी की गई है।
- "अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए रणनीति" जारी की गई है, जिसमें वर्ष 2030 तक 37 गीगावाट की ट्रैजेक्ट्री और परियोजना विकास के लिए विभिन्न व्यापार मॉडल दर्शाए गए है।
- अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए अपतटीय क्षेत्रों के पट्टे (लीज) की मंजूरी को विनियमित करने के लिए अपतटीय पवन ऊर्जा पट्टा नियम, 2023 को विदेश मंत्रालय की दिनांक 19 दिसम्बर, 2023 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया गया है।
- सौर फोटोवोल्टेक मॉड्यूलों और ग्रिड कनेक्टेड सौर इनवर्टरों के लिए मानक एवं लेबलिंग (एस एंड एल) कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।
- तीव्र अक्षय ऊर्जा ट्रैजेक्ट्री के लिए आवश्यक ट्रांसमिशन इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए वर्ष 2030 तक की ट्रांसमिशन योजना तैयार की गई है।
- "विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम (एलपीएस नियम)" अधिसूचित किए गए हैं।
- सभी के लिए किफायती, भरोसेमंद और सतत हरित ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिनांक 06 जून, 2022 को विद्युत (हरित ऊर्जा खुली पहुंच के माध्यम से अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा) नियम, 2022 अधिसूचित किया गए हैं। वितरण लाइसेंसधारी को उसी विद्युत प्रभाग में स्थित कुल मिलाकर सौ किलोवाट या इससे अधिक के एकल या बहु एकल कनेक्शन के माध्यम से 100 किलोवाट या इससे अधिक की संविदा मांग के साथ किसी भी उपभोक्ता को हरित ऊर्जा खुली पहुंच (ग्रीन एनजी ओपन एक्सेस) की अनुमति है।
- एक्सचेंजों के माध्यम से अक्षय ऊर्जा विद्युत की बिक्री को सुविधाजनक बनाने के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम) की शुरुआत की गई है।
- सरकार ने यह आदेश जारी किए हैं कि विद्युत की आपूर्ति साख पत्र (लेटर ऑफ क्रेडिट एलसी) या अग्रिम भुगतान के माध्यम से की जाएगी ताकि वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा अक्षय ऊर्जा उत्पादकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सके।

अनुलग्नक-**III**

'राजस्थान में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन' के संबंध में पूछे गए दिनांक 12.03.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2285 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-**III**

मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रमुख चल रही नवीकरणीय ऊर्जा योजनाएं/कार्यक्रमों के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान जारी सीएफए का राज्य-वार विवरण

वर्ष 2019-20 के दौरान जारी सीएफए का राज्य-वार विवरण

(करोड़ रुपए में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सौर पार्क	रूफटॉप सौर	पीएम-कुसुम	सीपीएसयू	सौर ऑफ-ग्रिड	लघु जल विद्युत	हरित ऊर्जा कॉरिडोर	बायोमास	अपशिष्ट से ऊर्जा	बायोगैस
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह										
आंध्र प्रदेश	94.58	2.1			0.52		24.34			3.73
अरुणाचल प्रदेश					17.01	7.06				
असम		17.3			15.75					0.41
बिहार		1			0.37					
चंडीगढ़		5.1								
छत्तीसगढ़		2.7								2.49
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव										
दिल्ली		0.6								0.23
गोवा				0.50						
गुजरात		77.5		2.50		46.43				
हरियाणा		13.1								
हिमाचल प्रदेश					8.09	2.55	22.16			
जम्मू और कश्मीर		6.7			10.00					
झारखंड		2.3			8.55					
कर्नाटक	45.45				10.06	2.39				3.68
केरल						2.10				1.46
लद्दाख						0.58				
लक्षद्वीप										
मध्य प्रदेश	30.00		71.07		18.75					5.21
महाराष्ट्र					34.77		6.11			10.87
मणिपुर		4.1			12.61	0.10				
मेघालय		3.5				0.68				
मिजोरम	0.10				15.23	0.88				
नागालैंड					13.45	3.11				
ओडिशा					10.29					0.74
पुडुचेरी		0.8								
पंजाब		5.5			12.23					3.55
राजस्थान	57.20		68.98		19.14					0.10
सिक्किम						0.05				
तमिलनाडु			11.21		7.98			4.50		
तेलंगाना		20.2								
त्रिपुरा					12.65					0.33
उत्तर प्रदेश					57.05				0.83	
उत्तराखंड		7.7			10.87	11.40				1.82
पश्चिम बंगाल		13.4								
अन्य*		107.1			8.50					
कुल	227.34	290.7	151.26	3.00	303.87	77.33	52.61	4.50	0.83	34.62

*एसईसीआई/आरईसी/पीएसयू/सरकारी विभाग

वर्ष 2020-21 के दौरान जारी सीएफए का राज्य-वार विवरण

(करोड़ रुपए में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सौर पार्क	रूफटॉप सौर	पीएम-कुसुम	सीपीएसयू	सौर ऑफ-ग्रिड	लघु जल विद्युत	हरित ऊर्जा कॉरिडोर	बायोमास	अपशिष्ट से ऊर्जा	बायोगैस
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह		0.4								0.06
आंध्र प्रदेश		33.1			0.10	8.00	23.53			5.50
अरुणाचल प्रदेश					19.76	5.66				
असम										3.10
बिहार		1.5								
चंडीगढ़		0.8								
छत्तीसगढ़						2.50				
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव										
दिल्ली		22.2		1.05						
गोवा										0.05
गुजरात		52.3	3.95	26.60			24.57		4.72	0.17
हरियाणा		4.1	51.33							
हिमाचल प्रदेश		20.6	2.80			2.00	48.54			
जम्मू और कश्मीर		4.9				9.31				
झारखंड			16.05							
कर्नाटक			1.26		5.03		57.35	2.25		4.63
केरल	6.74	11.7								0.65
लद्दाख										
लक्षद्वीप										
मध्य प्रदेश		31.3			12.94					5.03
महाराष्ट्र		58.3			17.85	5.00		3.97	2.53	3.73
मणिपुर		4	0.34		18.67					
मेघालय			0.28		0.85					0.10
मिजोरम					19.73	0.60				
नागालैंड					10.69					
ओडिशा			0.77			4.75				0.35
पुडुचेरी										
पंजाब		6.9	8.28		0.41					3.08
राजस्थान	61.44	22	52.06	485.10			5.53			0.22
सिक्किम										
तमिलनाडु		4.4		80.50						2.56
तेलंगाना		20.7		27.00	2.13				0.32	
त्रिपुरा		0.5	3.96		14.07					
उत्तर प्रदेश		19.9	15.34		18.30	0.05				0.35
उत्तराखंड		4.6			2.94	2.91				0.46
पश्चिम बंगाल										
अन्य*		142.2			3.75					
कुल	68.18	466.4	156.44	620.25	147.22	40.78	159.52	6.22	7.57	30.04

*एसईसीआई/आरईसी/पीएसयू/सरकारी विभाग

वर्ष 2021-22 के दौरान जारी सीएफए का राज्य-वार विवरण

(करोड़ रुपए में)

राज्य	सौर पार्क	रूफटॉप सौर	पीएम-कुसुम	सीपीएसयू	सौर ऑफ-ग्रिड	लघु जल विद्युत	हरित ऊर्जा कॉरिडोर	बायोमास	अपशिष्ट से ऊर्जा	बायोगैस
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह					37.97					
आंध्र प्रदेश		2.1			0.87			0.99	50.55	0.88
अरुणाचल प्रदेश					10.54	0.82				
असम		0.4			8.76					0.31
बिहार								1.75		0.15
चंडीगढ़										
छत्तीसगढ़		1.2								1.97
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव										
दिल्ली		26.2								
गोवा		3.6								
गुजरात	28.00	1214.7				6.65			13.96	1.29
हरियाणा		7.7	161.12					1.05	5.05	
हिमाचल प्रदेश		13.8			19.68					
जम्मू और कश्मीर		20.2			22.08	9.50				
झारखंड		6.6								
कर्नाटक	40.00							2.70	0.93	0.34
केरल		36.3				0.35		0.79		0.45
लद्दाख					12.41	6.00				
लक्षद्वीप										
मध्य प्रदेश	50.84						73.16	1.27		1.66
महाराष्ट्र		63.1	9.60			3.00		0.75	2.47	0.18
मणिपुर		4.7			10.22					
मेघालय										
मिजोरम	0.48				1.82	1.41				
नागालैंड					5.86					
ओडिशा					5.13			0.13		
पुडुचेरी										
पंजाब		16.6	23.70							
राजस्थान	87.16	10.4	153.49				2.25			
सिक्किम					0.03					
तमिलनाडु			20.30				59.26	0.02		
तेलंगाना		16.1		27.37	2.28			1.20	2.02	
त्रिपुरा			7.36		9.52					
उत्तर प्रदेश	0.85	5.9	13.73		0.56			3.83	0.04	
उत्तराखंड		10.6			11.66	0.28				
पश्चिम बंगाल									0.02	
अन्य*		22.1	16.75		0.10					
कुल	207.33	1482.3	406.05	27.37	159.49	28.01	134.67	14.48	75.04	7.23

*एसईसीआई/आरईसी/पीएसयू/सरकारी विभाग

वर्ष 2022-23 के दौरान जारी सीएफए का राज्य-वार विवरण

(करोड़ रुपए में)

राज्य	सौर पार्क	रूफटॉप सौर	पीएम कुसुम	सीपीएसयू	सौर ऑफ-ग्रिड	लघु जल विद्युत	हरित ऊर्जा कॉरिडोर	बायोमास	अपशिष्ट से ऊर्जा	बायोगैस
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह										
आंध्र प्रदेश		5.6							50.47	
अरुणाचल प्रदेश			0.82		8.49	1.83				
असम		4.9			10.86					0.11
बिहार				1.75						
चंडीगढ़		2								
छत्तीसगढ़		3.3			1.12					3.70
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव				1.5						
दिल्ली		10.8								
गोवा										
गुजरात	522.17	1040.2	7.83			3.19	27.97		1.38	
हरियाणा		14.7	137.95						3.53	
हिमाचल प्रदेश		11.7	5.85			0.41	4.02			
जम्मू और कश्मीर		1.2	15.69		11.04	1.50				
झारखंड		3	20.04							
कर्नाटक		9.9					17.50			0.12
केरल	2.52	102.5				1.63				
लद्दाख						8.80				
लक्षद्वीप										
मध्य प्रदेश	109.36	35		32.25			96.77			0.29
महाराष्ट्र	12	55.7	247.60				5.08	1.75		3.04
मणिपुर			0.23		5.86					
मेघालय										
मिजोरम	1.28	0.8			6.37					
नागालैंड			0.20		0.67					
ओडिशा		0.6			8.57			0.40		0.47
पुडुचेरी										
पंजाब		45.8	31.11					1.73		2.11
राजस्थान		96.3	247.63				10.85			0.10
सिक्किम					0.77	0.60				
तमिलनाडु		20.5					87.81	1.03		0.34
तेलंगाना		43.9							0.33	
त्रिपुरा			0.12		2.60					
उत्तर प्रदेश	28.78	2.4	82.30						1.82	
उत्तराखंड		1.7	4.00							
पश्चिम बंगाल		10.2							0.07	
अन्य*		35.9								
कुल	676.11	1558.6	801.37	35.5	56.35	17.96	250.00	4.91	57.60	10.28

*एसईसीआई/आरईसी/पीएसयू/सरकारी विभाग

वर्ष 2023-24 के दौरान जारी सीएफए का राज्य-वार विवरण

(करोड़ रुपए में)

राज्य	सौर पार्क	रूफटॉप सौर	पीएम कुसुम	सीपीएसयू	सौर ऑफ-ग्रिड	लघु जल विद्युत	हरित ऊर्जा कॉरिडोर	बायोमास	अपशिष्ट से ऊर्जा	बायोगैस
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह					1.75					
आंध्र प्रदेश		3.0		22.45			47.54		2.74	
अरुणाचल प्रदेश			2.12							0.39
असम		2.0		6.80						1.26
बिहार		9.3								
चंडीगढ़		3.3								
छत्तीसगढ़	14.30	1.2			6.23					0.95
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव										0.11
दिल्ली		4.5								0.23
गोवा									3.00	
गुजरात	505.13	639.1	28.72	145.91		1.58	23.85			8.14
हरियाणा		13.5	429.78			0.70				
हिमाचल प्रदेश		2.4			5.00	0.60	40.50			
जम्मू और कश्मीर										
झारखंड			2.36							
कर्नाटक		7.9	2.38	112.35			147.12		6.61	6.77
केरल		104.2	28.53		0.74	0.45				
लद्दाख						6.57				
लक्षद्वीप										
मध्य प्रदेश	59.26	3.8	0.80				22.26		0.84	6.97
महाराष्ट्र		182.0	330.21			1.00		0.07	0.56	13.02
मणिपुर		0.9	0.17							0.22
मेघालय			0.31		1.20	0.47				0.22
मिजोरम					6.90	2.09				
नागालैंड			0.18							0.18
ओडिशा		2.8	7.69							0.32
पुडुचेरी										
पंजाब		12.2	5.41							2.34
राजस्थान	97.51	83.0	49.41	692.07			53.73	1.97		0.35
सिक्किम										
तमिलनाडु		9.6	2.59	80.97	3.63				2.36	0.47
तेलंगाना		23.2		27.39	1.03					0.29
त्रिपुरा			17.81		0.17					0.70
उत्तर प्रदेश	39.30	7.2	92.13				78.15		4.71	1.84
उत्तराखंड					7.67					0.77
पश्चिम बंगाल								2.14		
अन्य*		443.5								
कुल	715.50	1558.6	1000.60	1087.94	34.32	13.46	413.14	4.18	20.82	45.54

*एसईसीआई/आरईसी/पीएसयू/सरकारी विभाग

वर्ष 2024-25 के दौरान जारी सीएफए का राज्य-वार विवरण (दिसंबर, 2024 तक)

(करोड़ रुपए में)

राज्य	सौर पार्क	पीएम सूर्य घर	पीएम कुसुम	सीपीएसयू	सौर ऑफ-ग्रिड	पीएम जनमन	बायोमास	बायोगैस	अपशिष्ट से ऊर्जा	एसएचपी	जीईसी
		कुल									
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.01	0.00	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
आंध्र प्रदेश	0.00	51.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48	0.00
अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
असम	0.00	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
बिहार	0.00	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
चंडीगढ़	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
छत्तीसगढ़	2.80	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दिल्ली	0.00	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
गोवा	0.00	12.03	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
गुजरात	0.00	2708.81	5.15	342.20	0.00	0.00	0.00	1.53	1.02	0.00	17.77
हरियाणा	0.00	152.73	198.40	0.00	0.00	0.00	2.04	0.00	2.43	0.00	0.00
हिमाचल प्रदेश	0.00	4.82	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जम्मू और कश्मीर	0.00	51.51	0.00	0.00	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
झारखंड	0.00	1.40	49.62	0.00	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कर्नाटक	0.00	61.35	81.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4.83	6.43	0.00	24.65
केरल	0.00	616.33	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.86	0.00
लद्दाख	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
लक्षद्वीप	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	16.03	186.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24	10.20	0.00	0.00
महाराष्ट्र	0.00	872.07	1136.31	0.00	0.00	0.00	0.00	24.24	10.20	0.00	0.00
मणिपुर	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मेघालय	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	2.00	0.00
मिजोरम	2.24	0.39	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00
नागालैंड	0.00	0.05	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ओडिशा	0.00	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
पुडुचेरी	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पंजाब	0.00	48.72	13.09	0.00	0.00	0.00	7.60	1.71	0.00	0.00	0.00
राजस्थान	48.28	218.11	280.01	211.30	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
तमिलनाडु	0.00	95.51	3.39	1.76	0.00	0.00	0.00	0.51	6.25	0.00	10.47
तेलंगाना	0.00	52.11	0.00	1.30	0.00	0.44	0.00	0.85	5.37	0.00	0.00
त्रिपुरा	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश	94.28	409.71	91.66	0.00	0.00	0.00	0.51	0.58	21.71	0.00	292.93
उत्तराखंड	0.00	96.42	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07	0.20	0.00	0.00
पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
अन्य*	0.00	394.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	163.63	6116.00	1889.33	556.56	5.16	4.01	10.15	40.07	63.81	26.68	345.82

*एसईसीआई/आरईसी/पीएसयू/सरकारी विभाग

*****